



प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उओप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उओप्रO लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-58 में मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 14 मार्गों के चालू कार्यों पर अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मुO-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 14 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार कुल ₹0 7,69,25,000/- (रूपये सात करोड़ उन्हत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियन्ता मुO-1 (1.लोकनिष्ठा, लखनऊ के पत्र)	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/प्रावधिक स्वीकृति	बचत	बचत की उपरांत कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्रावधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21270/CE-HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt-11-05-2026	नि.ख.-1 खीरी	गुरूनानकपुरवा सम्पर्क मार्ग।	205/2025/1581/004 -23-9002-002/35/2025-दिनांक-13-11-2025	264.36 264.36	27.10	237.26	76.05	161.21	50.00
2	21270/CE-HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt-11-05-2026	नि.ख.-1 खीरी	वजीरपुरवा कोपा मार्ग से मटेही सम्पर्क मार्ग के मध्य छूटी कड़ी का निर्माण कार्य।	205/2025/1581/004 -23-9002-002/35/2025-दिनांक-13-11-2025	170.82 170.82	20.70	150.12	47.75	102.37	30.00
3	21270/CE-HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt-11-05-2026	नि.ख.-3 खीरी	जंगल नं0.5 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	205/2025/1581/004 -23-9002-002/35/2025-दिनांक-13-11-2025	137.61 137.61	5.00	132.61	38.46	94.15	10.00
4	21270/CE-HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt-11-05-2026	नि.ख.-3 खीरी	बिजुआ से सेमरिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	205/2025/1581/004 -23-9002-002/35/2025-दिनांक-13-11-2025	310.56 310.56	10.10	300.46	86.80	213.66	50.00
5	21270/CE-HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt-11-05-2026	नि.ख.-4 सीतापुर	भभुवापुर सम0म0	205/2025/1581/004 -23-9002-002/35/2025-दिनांक-13-11-2025	111.97 111.97	5.83	106.14	31.32	74.82	61.00
6	21270/CE-HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt-11-05-2026	प्रा.ख. सीतापुर	कहारनुपरवा सम्पर्क मार्ग	205/2025/1581/004 -23-9002-002/35/2025-दिनांक-13-11-2025	156.60 156.60	0.08	156.52	44.84	111.68	93.15
7	21270/CE-HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt-11-05-2026	प्रा.ख. सीतापुर	सेमरी से अन्नीपुरवा सम्पर्क मार्ग	205/2025/1581/004 -23-9002-	88.15 88.15	0.01	88.14	24.65	63.49	57.52

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र.	मुख्य अभियन्ता मु०- (1,लो०न०वि०, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति	बचत	बचत की उपरांत कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष	वित्तीय वर्ष 2026- 27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				002/35/2025- दिनांक-13-11-2025						
8	21270/CE- HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt- 11-05-2026	नि.ख.-1 हरदोई	रहोलिया मार्ग से महमदापुर सम्पर्क मार्ग का मिसिंग लैंक का नवनिर्माण कार्य।	205/2025/1581/004 -23-9002- 002/35/2025- दिनांक-13-11-2025	116.66 115.87	0.10	115.77	32.63	83.14	60.00
9	21270/CE- HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt- 11-05-2026	नि.ख.-1 हरदोई	बिस्कुला मार्ग से सरेया मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	205/2025/1581/004 -23-9002- 002/35/2025- दिनांक-13-11-2025	81.01 80.33	0.26	80.07	22.66	57.41	30.00
10	21270/CE- HQ1/CMGSY/L KO/2026-27 Dt- 11-05-2026	प्रा.ख. उन्नाव	स्वामी खेड़ा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	205/2025/1581/004 -23-9002- 002/35/2025- दिनांक-13-11-2025	180.97 180.12	2.02	178.10	51.41	126.69	117.92
11	20999/CE- HQ1/CMGSY/S AH/2026-27 Dt- 29-04-2026	प्रा.ख. मुजफ्फर नगर	सामना नहर पुल से जमालपुर खादर मिसिंग लैंक का नवनिर्माण कार्य	205/2025/1581/004 -23-9002- 002/35/2025- दिनांक-13-11-2025	142.57 142.57	16.68	125.89	40.40	85.49	77.57
12	20887/CE- HQ1/CMGSY/M BD/2026-27 Dt- 28-04-2026	प्रा.ख. बिजनौर	रूखडियाँ से बैरमाबाद गद्दी तक मार्ग	205/2025/1581/004 -23-9002- 002/35/2025- दिनांक-13-11-2025	128.87 128.87	0.87	128.00	16.05	111.95	32.00
13	21050/CE- HQ1/CMGSY/B AR/2026-27 Dt- 30-04-2026	नि.ख.-1 बरेली	ग्राम देवकोला से रम्पुरा तक खण्डजे से लेपन कार्य	205/2025/1581/004 -23-9002- 002/35/2025- दिनांक-13-11-2025	170.89 169.97	15.34	154.63	0.60	154.03	70.00
14	21050/CE- HQ1/CMGSY/B AR/2026-27 Dt- 30-04-2026	प्रा.ख. बरेली	फरीदादपुर मुतलक खजुरिया सम्पर्क मार्ग	205/2025/1581/004 -23-9002- 002/35/2025- दिनांक-13-11-2025	70.55 70.55	7.58	62.97	19.73	43.24	30.09
									योग	769.25

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजना के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3)) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,69,25,000 (रुपये सात करोड़ उनहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371356 मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लैंक के निर्माण हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), 30प्र0 प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, 30प्र0शासन ।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।